न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 04 / 2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री वालाराम पुत्र वीराराम कौम कुम्हार तहसील बाड़मेर ग्रामीण

<u>राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 950 / 377 रकबा 29–08 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 05–18 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं दिया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.30 का 50 गुना रूपये 15/– (अक्षरे पन्द्रह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 05 /2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री गुमानाराम पुत्र वीराराम कौम कुम्हार तहसील बाड़मेर ग्रामीण

<u>राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 950/377 रकबा 29–08 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 05–18 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं दिया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.30 का 50 गुना रूपये 15/– (अक्षरे पन्द्रह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 06/2024

प्रार्थी– **बनाम** **विप्रार्थी–**

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

श्री दानाराम पुत्र वीराराम कौम
कुम्हार निवासी हरियाली तहसील
बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 950/377 रकबा 29–08 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 05–18 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.30 का 50 गुना रूपये 15/– (अक्षरे पन्द्रह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 07/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री पदाराम पुत्र श्री वीराराम कौम कुम्हार निवासी हरियाली तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 950/377 रकबा 29–08 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 05–17 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भूअ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.29 का 50 गुना रूपये 14.5/– (अक्षरे चौदह रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 08/2024

प्रार्थी– **बनाम** **विप्रार्थी–**

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

श्रीमती हऊवा पत्नी वीराराम कौम
कुम्हार निवासी हरियाली तहसील
बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 950/377 रकबा 29–08 बीघा किस्म बारानीं सोयम भूमि में से 05–17 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नही है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.29 का 50 गुना रूपये 14.5/– (अक्षरे चौदह रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 09/2024

प्रार्थी–

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

बनाम

विप्रार्थी–

श्री जेताराम पुत्र श्री सरूपाराम कौम कुम्हार निवासी हरियाली तहसील बाड़मेर ग्रामीण

<u>राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 955/399 रकबा 23–10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 03–10 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नही किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.17 का 50 गुना रूपये 08.5/– (अक्षरे आठ रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 10/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री सूजाराम पुत्र श्री सरूपाराम कौम कुम्हार निवासी हरियाली तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 955/399 रकबा 23–10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 03–10 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.17 का 50 गुना रूपये 08.5/– (अक्षरे आठ रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता हैं साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 11/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री बाबूलाल पुत्र श्री सरूपाराम कौम कुम्हार निवासी हरियाली तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 955/399 रकबा 23–10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 03–10 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भूअ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.17 का 50 गुना रूपये 08.5/– (अक्षरे आठ रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए नि2लामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 12/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री दमाराम पुत्र श्री सरूपाराम कौम कुम्हार निवासी हरियाली तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम हरियाली के खसरा नम्बर 955/399 रकबा 23–10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 03–10 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.17 का 50 गुना रूपये 08.5/– (अक्षरे आठ रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए नि2लामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 13/2024

प्रार्थी–

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

बनाम

विप्रार्थी–

अब्देखां पुत्र समदेखां कौम मुसलमान
निवासी जसोताणियों की ढाणी
तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम जसोताणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 175/3 रकबा 07–15 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 07–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.35 का 50 गुना रूपये 17.5/– (अक्षरे सत्रह रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 14/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री बस्ताराम पुत्र मानाराम, वगताराम पुत्र लिछमणाराम कौम कुम्हार निवासी जसोताणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम जसोताणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 18 रकबा 583–17 बीघा किस्म गै.मु. ओरण भूमि में से 07–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.35 का 50 गुना रूपये 17.5/– (अक्षरे सत्रह रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 15/2024

प्रार्थी– | **बनाम** | **विप्रार्थी–**

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

श्रीमती रामूदेवी पत्नी चन्दाराम कौम
जाट निवासी जसोताणियों की ढाणी
तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम जसोताणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 187/146 रकबा 3–00 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 03–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भूअ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.15 का 50 गुना रूपये 7.5/– (अक्षरे सात रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 16/2024

प्रार्थी– **बनाम** **विप्रार्थी–**

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

श्री भैरा पुत्र धोकला कौम सुथार
निवासी सुथारों की ढाणी तहसील
बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 328/168 रकबा 40–15 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 03–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.15 का 50 गुना रूपये 7.5/– (अक्षरे सात रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 17/2024

प्रार्थी–

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

बनाम

विप्रार्थी–

श्री कालूराम पुत्र भीमाराम कौम
सुथार निवासी सुथारों की ढाणी
तहसील बाड़मेर ग्रामीण

<u>राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 328/168 रकबा 40–15 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 03–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.15 का 50 गुना रूपये 7.5/– (अक्षरे सात रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 18/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री भूराराम पुत्र श्री सांगाराम कौम सुथार निवासी सुथारों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण

<u>राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 328/168 रकबा 40–15 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 03–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भूअ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.15 का 50 गुना रूपये 7.5/– (अक्षरे सात रूपये पचास पैसे) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 19/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री इन्द्रा, श्री चनणा, श्रीमती लीला पुत्रान सांगा कौम सुथार निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 542/162 रकबा 107–10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 08–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.40 का 50 गुना रूपये 20/– (अक्षरे बीस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 20/2024

प्रार्थी– **बनाम** **विप्रार्थी–**

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

श्री सोनाराम पुत्र श्री धर्माराम कौम
जाट निवासी सुथारों की ढाणी
तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 349/187 रकबा 04–00 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में से 04–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.24 का 50 गुना रूपये 12/– (अक्षरे बारह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 21/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		फकीरा मोहम्मद पुत्र श्री अलीखां कौम मुसलमान निवासी सुथारों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 350/187 रकबा 09–00 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में से 09–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थीगण ने नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.54 का 50 गुना रूपये 27/– (अक्षरे सत्ताईस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 22/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री मोहम्मद हसन पुत्र गुलमोहम्मद कौम मुसलमान निवासी सुथारों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम सुथारों की ढाणी के खसरा नम्बर 369/309 रकबा 07–14 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में से 06–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.36 का 50 गुना रूपये 18/– (अक्षरे अट्ठारह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 23/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री बाबुलाल पुत्र पोलाराम कौम नाई निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 539/133 रकबा 119–16 बीघा किस्म गै.मु. मगरा भूमि में से 12–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.60 का 50 गुना रूपये 30/– (अक्षरे तीस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 24/2024

प्रार्थी–

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

बनाम

विप्रार्थी–

श्री रूगाराम पुत्र पोलाराम कौम नाई
निवासी भाडखा तहसील बाडमेर
ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 539/133 रकबा 119–16 बीघा किस्म गै.मु. मगरा भूमि में से 05–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.60 का 50 गुना रूपये 13/– (अक्षरे तेरह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खडी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 25/2024

प्रार्थी– **बनाम** **विप्रार्थी–**

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

श्री आसूराम पुत्र पोलाराम कौम नाई
निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 25.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 539/133 रकबा 119–16 बीघा किस्म गै.मु. मगरा भूमि में से 05–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.25 का 50 गुना रूपये 13/– (अक्षरे तेरह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 26/2024

प्रार्थी–

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

बनाम

विप्रार्थी–

श्री लूणाराम पुत्र केशराराम,
पोकराराम, उदाराम, अशोक कुमार
पिता लूणाराम कौम कुम्हार निवासी
भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 539/133 रकबा 119–16 बीघा किस्म गै.मु. मगरा भूमि में से 15–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.75 का 50 गुना रूपये 38/– (अक्षरे अड़तीस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 27/2024

प्रार्थी–	बनाम	विप्रार्थी–
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्रीमती बबलुबाई पत्नी जयराम कौम नाई निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 539/133 रकबा 119–16 बीघा किस्म गै.मु. मगरा भूमि में से 07–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भूअ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.35 का 50 गुना रूपये 18/– (अक्षरे अट्ठारह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खडी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करे। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 28/2024

प्रार्थी–	बनाम	विप्रार्थी–
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री गुमानसिंह, श्री गोविन्दसिंह, श्री पीरसिंह, श्री हरीसिंह, खंगारसिंह, श्रवणसिंह, भवानीसिंह पुत्रान हुकमसिंह कौम रावणाराजपूत निवासी जसोताणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 417/135 रकबा 64–10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 11–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुए परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.55 का 50 गुना रूपये 28/– (अक्षरे अट्ठाईस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 29/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री सगतसिंह पुत्र डूंगरसिंह कौम रावणा राजपूत निवासी जसोताणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण

<u>राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 417/135 रकबा 64–10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 11–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुए परंतु कोई लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भूअ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.55 का 50 गुना रूपये 28/– (अक्षरे अट्ठाईस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 30/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री चनणसिह, दानसिंह, भेरसिंह, प्रेमसिंह पुत्रान जुगतसिंह कौम रावणा राजपूत निवासी जसोताणियों की ढाणी, भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण

<u>राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 417/135 रकबा 64–10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में से 20–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुए परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भूअ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अत: विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 1.00 का 50 गुना रूपये 50/– (अक्षरे पचास रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 31/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री जेठाराम पुत्र जोगाराम कौम दर्जी निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 630/135 रकबा 14–02 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 5–00 बीघा एवं खसरा नंबर 434/162 रकबा 5–00 बीघा भूमि में से 05–00 बीघा कुल 10–00 बीघाभूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुए परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.50 का 50 गुना रूपये 25/– (अक्षरे पच्चीस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 32/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री भोजाराम पुत्र श्री जवाराराम कौम जाट निवासी भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 473/334 रकबा 79–06 बीघा किस्म गै.मु. मगरा में से 18–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.90 का 50 गुना रूपये 45/– (अक्षरे पैतालीस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 33/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री गिरधारीराम पुत्र श्री पेमाराम कौम सुथार निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 542/162 रकबा 107–10 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 05–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.25 का 50 गुना रूपये 13/– (अक्षरे तेरह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 34/2024

प्रार्थी–	बनाम	विप्रार्थी–
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री दमाराम पुत्र श्री भीमाराम कौम सुथार निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 542/162 रकबा 107–10 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 04–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.20 का 50 गुना रूपये 10/– (अक्षरे दस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 35/2024

प्रार्थी–

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

बनाम

विप्रार्थी–

श्री नारायणराम पुत्र श्री कालूराम कौम सुथार निवासी भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 542/162 रकबा 107–10 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 03–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.15 का 50 गुना रूपये 08/– (अक्षरे आठ रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण
- पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 36/2024

प्रार्थी– | **बनाम** | **विप्रार्थी–**

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

श्री मूलाराम पुत्र श्री भीमाराम कौम सुथार
निवासी भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 542/162 रकबा 107–10 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 10–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.50 का 50 गुना रूपये 25/– (अक्षरे पच्चीस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 38/2024

प्रार्थी–	बनाम	विप्रार्थी–
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री लीलाराम पुत्र श्री भीमाराम कौम सुथार निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 542/162 रकबा 107–10 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 05–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.25 का 50 गुना रूपये 13/– (अक्षरे तेरह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 39/2024

प्रार्थी–

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

बनाम

विप्रार्थी–

श्री मेहरा पुत्र श्री सांगा कौम सुथार निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 542/162 रकबा 107–10 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 10–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.25 का 50 गुना रूपये 25/– (अक्षरे पच्चीस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 40 / 2024

प्रार्थी–	बनाम	विप्रार्थी–
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्रीमती मंजू पत्नी लूणाराम, अशोक कुमार, सांगाराम कौम माली निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 565 / 181 रकबा 60–10 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 05–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भूअ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.25 का 50 गुना रूपये 13/– (अक्षरे तेरह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 41/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री चनणाराम, सुखदेव, प्रकाश पुत्र श्री धनाराम कौम माली निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 565/181 रकबा 60–10 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 06–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.30 का 50 गुना रूपये 15/– (अक्षरे पन्द्रह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 42/2024

प्रार्थी– | **बनाम** | **विप्रार्थी–**

राज्य सरकार जरिये
पटवारी भाडखा

श्री केवलाराम, भगाराम, तेजाराम पुत्र श्री मुकनाराम कौम माली निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

<u>राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 565/181 रकबा 60–10 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 06–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्त्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.30 का 50 गुना रूपये 15/– (अक्षरे पन्द्रह रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 43/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्री तगाराम पुत्र जुगताराम कौम जाट निवासी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 448/235 रकबा 212–03 बीघा किस्म गै.मु. आगोर में से 04–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.20 का 50 गुना रूपये 10/– (अक्षरे दस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : रामलाल

राजस्व आवेदन सं. 44/2024

प्रार्थी–	**बनाम**	**विप्रार्थी–**
राज्य सरकार जरिये पटवारी भाडखा		श्रीमती दरिया पत्नी द्वारकाराम कौम कुम्हार निवासी प्रागाणियों की ढाणी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

<u>राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11.11.2024

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.2024 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2081 के दौरान ग्राम भाडखा के खसरा नम्बर 473/334 रकबा 79–06 बीघा किस्म गै.मु. मगरा में से 14–00 बीघा भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी नियत सुनवाई पर उपस्थित हुआ परंतु कोई लिखित प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बा.मो. फसल लगाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.70 का 50 गुना रूपये 35/– (अक्षरे पैंतीस रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

06. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी भाडखा** को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल निलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए निलामी कार्यवाही फर्द स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल निलामी राशि वसूल कर बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

07. निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामलाल)
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

बाड़मेर ग्रामीण